2019/00016

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या *04/2019 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

श्योपाल, बाबूलाल, सुगना, रंगलाल, ललाराम पुत्र किशनीबाई, राधाबाई, धूली बाई पुत्रियां व फूलीबाई बेवा गोविन्दा जाति गूर्जर निवासी कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा

(अप्राथी)

उपस्थित :– श्री रूपेश कुमार श्रंगी (अभिभाषक अप्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 19.08.2019

प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 156, 157, 158 कुल किता तीन रकबा 1.16 हैक्टयर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 70 पर अप्रार्थी श्री श्योपाल,, बाबूलाल, सूगना वगै0 की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा के उक्त खसरा नम्बरान सेटलमेण्ट पूर्व खसरा नम्बर 74 रकबा 59 बीघा 19 विस्वा, खातेदार सिवायचक खाता केवल चराई योग्य जमीने नाले दर्ज रिकार्ड था। बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 74 रकबा 159 बीघा 19 बिस्वा, जो बखाता सरकार गै0मु0 केवल चराई योग्य दर्ज नाकाबिल आवंटन/परिवर्तन भूमि थी, को खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 156, 157, 158 कुल किता तीन रकबा 1.16 हैक्टयर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 70 पर अप्रार्थी श्री श्योपाल,, बाबूलाल, सूगना वगै0 की खातेदारी से खारिज कर किस्म गै0मु0 नाला (केवल चराई योग्य जमीने, नाले) राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा

जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर प्रदान करने पर उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से उसे अवसर देने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं होने से पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 156, 157, 158 कुल किता तीन रकबा 1.16 हैक्टयर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 70 पर अप्रार्थी श्री श्योपाल,, बाबूलाल, सूगना वगै0 की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा के उक्त खसरा नम्बरान सेटलमेण्ट पूर्व खसरा नम्बर 74 रकबा 59 बीघा 19 बिस्वा, खातेदार सिवायचक खाता केवल चराई योग्य जमीने नाले दर्ज रिकार्ड था। बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 74 रकबा 159 बीघा 19 बिस्वा, जो बखाता सरकार गै0मु0 केवल चराई योग्य दर्ज नाकाबिल आवंटन/परिवर्तन भूमि थी, को खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उवत खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 156, 157, 158 कुल किता तीन रकबा 1.16 हैक्टयर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 70 पर अप्रार्थी श्री श्योपाल, बाबूलाल, सूगना वगै0 की खातेदारी से खारिज कर किस्म गै0मु0 नाला (केवल चराई योग्य जमीने, नाले) राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा